

MY BOOK

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MADHYA PRADESH,
BHOPAL



ग्राह्यता / मान्यता / समकक्षता पुस्तिका
क्रमांक 216

(अप्रैल, 2016 तक संशोधित)

Eligibility/Affiliation/Equivalency Booklet
No. 216

(Revised upto April, 2016)

कास्ट में सलग्न 3 विस्तार 2019 ई 2023(2)

ग्राह्यता / मान्यता / समकक्षता पुस्तिका

क्रमांक 216

(अप्रैल, 2016 तक संशोधित)

Eligibility/Affiliation/Equivalency Booklet

No. 216

(Revised upto April, 2016)

INDEX

Subject	Page No.
(1) Secretary's letter to all Principals & its Endorsement	— 3
(2) Specimen of Application form to obtain Eligibility	— 7
(3) Appendix A	— 8
Equivalent Examinations of Board of Education :-	
(i) Andhra Pradesh	— 9
(ii) Assam, Bihar, Chhatisgarh, Delhi,	— 10
(iii) Gujrat	— 11
(iv) Goa, Hariyana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Jharkhand—	12
(v) Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh	— 13
(vi) Maharashtra, Manipur, Meghalaya	— 14
(vii) Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan	— 15
(viii) Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh	— 16
(ix) Uttranchal, West Bengal & Miscellaneous	— 17
(x) Foreign Examinations	— 18
(4) Appendix 'B'	— 19
(5) Appendix 'C'	— 3

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ क्रमांक
(1) समस्त प्राचार्यों के लिये सचिव का पत्र	— 3
(2) ग्राह्यता प्रार्थना पत्र का नमूना	— 7
(3) परिशिष्ट "अ"	— 8
समकक्षता प्राप्त शिक्षा मण्डल की परीक्षाएँ :-	
(i) आंध्रप्रदेश	— 9
(ii) असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली	— 10
(iii) गुजरात	— 11
(iv) गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखण्ड	— 12
(v) कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश	— 13
(vi) महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय	— 14
(vii) मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान,	— 15
(viii) तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश,	— 16
(ix) उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल एवं अन्य	— 17
(x) विदेशी परीक्षाएँ	— 18
(4) परिशिष्ट "ब"	— 19
(5) परिशिष्ट "स"	—

PREFACE

Eligibility/Affiliation/Equivalency Booklet No. 216 is very useful for the Principals of recognised Schools of Madhya Pradesh, because important information regarding admission in the educational institution recognised by the Board of Secondary Education M.P. Bhopal have been included. This booklet provides information about examination conducted by other Education Boards/Universities which are equivalent to High School Examination conducted by this education Board. It also furnishes the information which examinations conducted by education institutions outside M.P. are equivalent to examination of class VIII of M.P.

In the end of the booklet a list of those oriental examinations which are recognised by this Board has also been added.

This is a utility booklet for such students, who, after passing an examination conducted by a Board situated outside Madhya Pradesh seek to appear in an examination conducted by this Board, because before being admitted to their desired examination they have to obtain an Eligibility Certificate from this Board and in the beginning of the booklet a specimen of the application form for obtaining Eligibility Certificate has been printed in order to facilitate such students.

I hope that Principals and students both shall welcome this booklet.

Secretary
Board of Secondary Education M.P.
Bhopal

प्राक्कथन

ग्राह्यता/मान्यता/समकक्षता पुस्तिका क्रमांक 216 मध्यप्रदेश की मान्यता प्राप्त शालाओं के प्राचार्यों के लिये उपयोगी है, क्योंकि इस पुस्तिका में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश संबंधी जानकारी का समावेश किया गया है, इस पुस्तक से यह जानकारी भी मिलती है कि प्रदेश से बाहर के दूसरे शिक्षा मण्डलों/महाविद्यालयों की कौनसी परीक्षाएँ इस मण्डल की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष हैं। यह पुस्तिका यह सूचना भी देती है कि प्रदेश से बाहर की किन शिक्षण संस्थाओं की कौनसी परीक्षाएँ म.प्र. की कक्षा 10वीं की परीक्षा के समकक्ष हैं।

पुस्तिका के अन्त में उन ओरिएन्टल परीक्षाओं की सूची भी जोड़ दी गई है जिन्हें इस मण्डल की मान्यता प्राप्त है।

यह पुस्तिका ऐसे विद्यार्थियों के लिये भी उपयोगी है जो प्रदेश के बाहर के किसी शिक्षा मण्डल से परीक्षा उत्तीर्ण कर मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की किसी परीक्षा में बैठना चाहते हैं क्योंकि इससे पूर्व उन्हें ग्राह्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है और पुस्तिका के आरंभ में ग्राह्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र का नमूना छपा गया है ताकि विद्यार्थियों को सुविधा हो।

मुझे आशा है कि प्राचार्यों, विद्यार्थियों के द्वारा इस पुस्तिका का स्वागत किया जावेगा।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश
भोपाल

Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal

Telegrams :- "EXAMS"

Phone :	Secretary	—	2551650
	Residence, Secretary	—	2556894
	Board's Exchange	—	2551167 To 69.

Sender :-

Secretary,
Board of Secondary Education, Madhya Pradesh
Bhopal - 462011

To

The Principal
All Recognised Schools
Madhya Pradesh

Dear Sir,

The following details are hereby propagated on the aforesaid subject for the information of the educational institutions.

1. 10+2 new education scheme has already been launched in M.P. According to it, at the end of Class X, the High School Certificate Examination conducted by the Board is compulsory for the students. For admission in Class XI, it is compulsory that the candidate has passed the High School Certificate Examination of this Board or an examination equivalent to it. Students who are from other provinces, and under 10+2 new education scheme, have passed Class IX or XI as regular students will be entitled to get admission in the subsequent next class.
2. A list of examinations of other universities/Boards, recognised by this Board, is enclosed herewith. Students who according to the list have passed an examination recognised as equivalent to this Board's High School Examination are entitled to get admission in Class XI in a recognised educational institution of M.P. Provided that they fulfill certain other conditions. Under Board's Regulation No. 122, such students will have to obtain an Eligibility Certificate by sending a duly filled application form scheduled for the purpose, forwarded by the Principal of that institution after paying a fee prefixed for it.

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

तार का पता 'EXAMS'

सचिव	2551650
फोन निवास स्थान सचिव	2556894
मण्डल एक्सचेंज	2551167 To 69

प्रेषक :-

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,
भोपाल - 462011

प्रति,
प्राचार्य
समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाएँ,
मध्यप्रदेश,

महोदय,

उपर्युक्त विषय में संस्थाओं की जानकारी हेतु निम्नानुसार विवरण प्रसारित किया जाता है :-

1. मध्यप्रदेश में 10+2 नवीन शिक्षा योजना प्रारम्भ की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत कक्षा 10 के अन्त में मण्डल की हाईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा अनिवार्य है। अतः कक्षा 11 में प्रवेश के लिए मण्डल की हाईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा या इसके समकक्ष मान्य परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अन्य प्रदेशों से 10+2 नवीन शिक्षा योजना की संस्थागत परीक्षा (कक्षा 9 व 11) उत्तीर्ण छात्रों को आगे की कक्षा में प्रवेश की पात्रता होगी।
2. मण्डल द्वारा मान्य विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं मण्डलों की परीक्षाओं की सूची संलग्न कर भेजी जा रही है। सूची में दर्शाई गई हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को मध्यप्रदेश की मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 11 वीं में प्रवेश की पात्रता है। यदि वे अन्य शर्तें पूरी करते हैं। ऐसे छात्रों को मण्डल विनियम 122 के अनुसार संलग्न निर्धारित फार्म प्राचार्य द्वारा शुल्क सहित भेजकर 'ग्राह्यता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करना होगा।

SUBJECT :- Information regarding Eligibility Certificate :

The following details are propagated for the general awareness of the educational institutions :-

1. Under Board's Regulation 122, such students will have to request the Board, through their Principal, after paying a fee of obtain an Eligibility Certificate. The application form, for general information is enclosed herewith for general information. If more copies of this application form are needed, kindly get the application form typed and thereafter photocopy and use it. The Original Certificate of the examination should compulsorily be enclosed with this application form.
2. It is generally noticed that necessary action to obtain Eligibility Certificate is either delayed or it is not at all taken. Consequently the Board has to withheld the results of such students. As a result, the students have to bear a considerable loss. Most of the time they fail to get admission in the higher class.
3. The students of CBSE/Other States/Other Boards, who have been granted Provisional Admission by the Principal need through the Principal to complete compulsorily at the Divisional offices of the Board, the necessary formalities regarding obtaining Eligibility Certificates upto 31st July.

The students who fail to obtain Eligibility Certificate upto the aforesaid date will not be entitled to appear in Board's Examinations as Regular candidates.
4. In order to grant admission to the students of Other States/ Other Boards/CBSE, kindly study the circulars and guidelines about admission policy of the Boards.
5. Students who have passed their examinations as regular candidates from a recognised institution of any Board or University other than the Board of Secondary Education M.P. and who seek admission in an institution recognised by this Board will have to produce a Transfer Certificate countersigned by a competent Education Authority of that State.
6. Regarding admission of foreign students upto their Class X, the Principal of the concerned institution will conduct an examination of the students considering his age and qualification and will send a recommendation to the Board for his admission to the suitable class and the permission of such an admission will be given by the Board.

विषय:- ग्राह्यता प्रमाण-पत्र (Eligibility Certificate) विषयक जानकारी।

उपयुक्त विषय में संस्थाओं की जानकारी हेतु निम्नानुसार विवरण प्रसारित किया जाता है -

1. मण्डल विनियम क्रमांक 122 के अनुसार ऐसे छात्रों को निर्धारित प्रार्थना-पत्र पर ग्राह्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित शुल्क सहित सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य के माध्यम से मण्डल को निवेदन करना होगा। ग्राह्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रार्थना-पत्र की एक प्रति सूचनार्थ संलग्न है, यदि इस आवेदन-पत्रों की और आवश्यकता हो तो नमूने के अनुसार टाइप अथवा छाया प्रति करके कृपया उपयोग में लायें प्रार्थना-पत्र के संलग्न मूल प्रमाण-पत्र तथा आपके द्वारा सत्यापित फोटो प्रतियां लगाना अनिवार्य है।
2. प्रायः यह देखा गया है कि मण्डल से ग्राह्यता प्रमाण - पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही या तो अत्यन्त बिलम्ब से की जाती है या की ही नहीं जाती है। इसके परिणामस्वरूप मण्डल को छात्रों के परीक्षाफल रोकने पड़ते हैं, इससे छात्रों को हानि होती है और वे उच्च कक्षाओं में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं।
3. आपके द्वारा सी.बी.एस.ई./अन्य राज्यों/अन्य बोर्डों के उत्तीर्ण जिन छात्र/छात्राओं को संस्था में अस्थाई प्रवेश दिया गया है, उनकी ग्राह्यता की कार्यवाही भी प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक मण्डल के संभागीय कार्यालय से पूर्ण की जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त तिथि तक ग्राह्यता प्राप्त न करने वाले छात्रों को नियमित छात्र के नाते परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रहेगी।
4. अन्य राज्यों/अन्य बोर्डों/सी.बी.एस.ई. के छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने हेतु मण्डल द्वारा समय-समय पर जारी प्रवेश नीति एवं परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका का भी अध्ययन कर लें।
5. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश के अतिरिक्त किसी मण्डल विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त संस्था से संस्थागत परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को मध्यप्रदेश की मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश के लिए उस राज्य के सक्षम शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित शाला त्याग प्रमाण-पत्र (टी.सी) प्रस्तुत करना होगा।
6. विदेश से आये कक्षा 10 तक के छात्रों के प्रवेश के संबंध में संस्था के प्राचार्य छात्र की आयु व शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, उसकी परीक्षा लेकर उपयुक्त कक्षा में प्रवेश की अनुशंसा मण्डल को करेंगे तथा मण्डल द्वारा प्रवेश की अनुमति दी जावेगी।

7. Those foreign students who have passed class VIII or IX examination from a foreign country and who desire to appear in an examination of this Board as private candidates and are of 15 years of age are eligible to appear in High School Examination as private candidates according to the calculation of years provided that they fulfill the conditions mentioned in the Act and Regulations of this Board.
8. The procedure of admission of the students who have passed an examination from any foreign Board or University and this examination is declared equivalent to High School Examination of any statutory Board or University in India, the procedure of admission of such students will be governed by that consideration.
9. Action regarding admission of those students who have passed an examination from a foreign Board or a University will be taken if such students produce an Equivalence Certificate obtained from their respective Embassies.
10. According to para 7 & 8 the students, who have passed an examination from any foreign Board or University and who fulfill the conditions mentioned in the Board's Act & Regulations for appearing in examinations as private candidates and are of 17 years of age, are entitled to appear in Board's examinations through its correspondence courses on the basis of calculation of years.
11. Admission to students who have come from other states is to be granted only after this Board grants them an appropriate permission.
12. (i) According to the decision of the curriculum committee dated 28/04/03 and wide circular No./49/Academic/2003 dated 30/04/2003 candidates securing different divisions in High School and Higher Secondary examinations of the Board will be given only one chance to improve marks in forthcoming main examination. If minimum marks increase by 10 without improving the division or the division improves even on increase of marks below 10, a revised marksheet will be given when such a student produces his original marksheet of last examination. This decision will apply from the examination of the year 2004.
(ii) As per the decision taken by the Curriculum Committee dated 15.10.2012, subject No. 9 regarding division improvement, it is decided that in the case of division improvement, even if minimum one mark increases in improving the division in Higher Secondary Examination result, a revised new Marksheet will be issued to the students who appeared in the division improvement category in the examination of the Board. This decision will apply from the examination of the year 2013.
13. According to Board's Regulation 207 A, students of class IX, X, XI/XII can change the subjects/Faculty offered by them at the time of their admission. For this purpose, students will have to submit their applications, duly recommended by the Principal of that institution alongwith subject/medium/faculty change fee required by board upto 31st December. All such applications will be sent to the Secretary to sanction the change of subjects/Faculty.

7. जो छात्र विदेश की कक्षा 8 या 9 उत्तीर्ण है और यदि वे स्वाध्यायी रूप से बैठने के लिए अधिनियम एवं विनियमों की शर्तें पूरी करते हैं एवं उनकी आयु 15 वर्ष है तो उन्हें वर्षों की गणना के अनुसार हाईस्कूल सर्टी. परीक्षा में स्वाध्यायी रूप से बैठने की पात्रता होगी।
8. जो छात्र विदेश के मण्डल अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण है यदि वह परीक्षा भारत के किसी स्टेच्यूटरी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य है तो उस आधार पर छात्र के प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
9. जो छात्र विदेश के मण्डल अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा वे संबंधित दूतावास से उसकी समकक्षता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करते हैं तो उस आधार पर छात्र के प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
10. कण्डिका 7 व 8 के अनुसार विदेश के मण्डल या विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र यदि स्वाध्यायी रूप से बैठने के लिए अधिनियम एवं विनियमों की शर्तें पूरी करते हैं एवं उनकी आयु 17 वर्ष है तो उन्हें वर्षों की गणना के अनुसार हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टी. परीक्षा में स्वाध्यायी रूप से बैठने की पात्रता होगी।
11. राज्य के बाहर से आये छात्रों के प्रवेश के संबंध में मण्डल से अनुमति के उपरान्त ही प्रवेश दिया जाये।
12. (i) पाठ्यचर्या समिति के निर्णय दिनांक 28/04/03 एवं मण्डल द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति क्र./49/विद्यो./2003 दिनांक 30/04/03 के अनुसार मण्डल की हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के सभी श्रेणी के छात्रों को अंक सुधार के लिए आगामी परीक्षा में केवल एक अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि बिना श्रेणी सुधार हुए न्यूनतम 10 अंकों की वृद्धि होती है अथवा 10 अंकों से कम की वृद्धि पर भी यदि श्रेणी सुधार हो जाता है, तो पिछली परीक्षा की मूल अंकसूची प्रस्तुत करने पर संशोधित अंकसूची प्रदान की जाएगी। यह निर्णय परीक्षा वर्ष 2004 से लागू होगा।
(ii) पाठ्यचर्या समिति की बैठक दिनांक 15/10/2012 के कार्यवृत्त के विषय क्रमांक-9 के अनुसार मण्डल द्वारा संचालित वर्ष 2013 से हायर सेकेण्डरी परीक्षा में श्रेणी सुधार के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले छात्रों के परीक्षा परिणाम में एक अंक की भी वृद्धि होने पर उन्हें संशोधित परीक्षाफल अनुसार नवीन अंकसूची जारी की जाये।
13. मण्डल विनियम 207 (अ) के अनुसार छात्र कक्षा 9, 10, 11 व 12 में विषय/समूह परिवर्तन कर सकते हैं। इस हेतु छात्रों को प्रार्थना-पत्र प्राचार्य की अनुशंसा तथा विषय/माध्यम/संकाय (प्रत्येक के लिए) परिवर्तन शुल्क जो समय-समय पर मंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है, के साथ 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करना होगा। विषय/समूह परिवर्तन की अनुमति हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल, को प्राचार्य की अनुशंसा सहित भेजे।

14. According to Board's Regulation 207(B) if a student being transferred from a recognised institution within the state / outside the State, takes admission in a recognised institution of Madhya Pradesh and that institution does not have the facility of teaching all the subjects offered by the student no matter that he is a regular student, he should send to the Board an application, duly recommended by the Principal, to grant him permission to study one subject privately.
15. According to Board's Regulation 105, those students who have passed an examination conducted by this Board, can in the forthcoming years appear as private candidates in the same examination in one subject or more than one subject provided that :-
 1. The subject/subjects are offered from one and the same faculty.
 2. Is not appearing in any other examination of this Board.
 3. Such subjects in which he has already been declared success- full in his former examination are not to be offered.

Secretary
Board of Secondary Education
M.P. Bhopal

Endo. No./...../Vidyochit/Equivalence/2016 Bhopal, dated.....

1. Secretary, Govt. of M. P. Department of School Education, Bhopal.
2. Commissioner, Public Instructions, M.P. Bhopal.
3. Director, State Council of Educational Research & Training, Bhopal
4. Director, State Institute of Education and Training, Bhopal
5. Director, Tribal welfare Deptt., Bhopal
6. Director, State Institute of Science Education, Jabalpur.
7. Director, English Language Teaching Institute, Bhopal.
8. Managing Director, M.P. Text Book Corporation, Bhopal.
9. All Divisional Superintendents of Education/Joint Directors, Public Instructions M.P. Bhopal.
10. All the Principals, College of Education, M.P. Bhopal.
11. All the Principals of Recognized institutions, M.P. Bhopal
12. All the Divisional Officers Board of Secondary Education M.P. Bhopal.
13. All the Board Members for information and necessary action.

Secretary
Board of Secondary Education
M.P. Bhopal

14. मण्डल विनियम 207 (ब) के अनुसार यदि कोई छात्र प्रदेश के अन्दर या प्रदेश के बाहर की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्थानान्तरित होकर मध्यप्रदेश की किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश लेता है और यदि उस संस्था में छात्र द्वारा चाहे गये सभी विषयों के अध्यापन की व्यवस्था नहीं है तो प्राचार्य की अनुशंसा पर छात्र के नियमित होते हुये भी एक विषय स्वाध्यायी रूप से अध्ययन करने की अनुमति हेतु मण्डल को लिखें।
15. मण्डल विनियम 105 के अनुसार जिन छात्रों ने इस मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे स्वाध्यायी रूप से उसी परीक्षा के एक या अधिक विषयों में आगामी वर्षों में सम्मिलित हो सकते हैं।
- इस हेतु - 1. विषय/विषयों का चयन एक ही समूह से करेंगे।
2. इस बोर्ड की अन्य परीक्षा में न बैठ रहे हों।
3. ऐसे विषय नहीं ले सकेंगे, जो पूर्व में उत्तीर्ण कर चुके हैं।

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश

भोपाल

पृ. क्र./...../विद्योचत/समकक्षता/2016 भोपाल, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल
2. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भोपाल
4. संचालक, राज्य शिक्षा संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद, भोपाल
5. संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग, म. प्र. भोपाल
6. संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर
7. संचालक, आंग्लभाषा शिक्षा संस्थान, भोपाल
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल
9. समस्त सम्भागीय शिक्षा अधीक्षक/संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल
10. समस्त प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय, म. प्र.
11. समस्त प्राचार्य, मान्यता प्राप्त संस्थाएँ, म. प्र.
12. समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म. प्र.
13. समस्त मण्डल सदस्यगण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश

भोपाल

To obtain Eligibility Certificate according to the Board's Regulation 122

Specimen of the Application Form

Note :- This application should be forwarded and sent by the Principal of the concerned School alongwith the Eligibility fee and Original Certificates with their Certified copies. It is necessary to fill all the columns of the application form

1. Name of the applicant
2. Father's name of the applicant
3. Present address of the applicant
4. Date of birth
5. Applicant's guardian's name
6. Applicant's relation with him
6. Name of the examination recognized by the other Board or University, passed previously by the applicant, making him eligible to seek admission in High School/ Higher Secondary Examination of the Board (Name of the Board or University in which he was studying)
7. Date of Passing that examination
8. If the applicant has studied in Intermediate First/Second year class or Higher Secondary Exam (Pre University) recognized by other Boards or Universities before taking admission in a school, in the jurisdiction of this Board , name the institution, class and subjects.
9. Name of the institution recognized by this Board in which the applicant wants to take admission
(Indicate clearly the class in which admission is being taken and the subjects offered)
10. Reason for seeking admission in the institution recognized by this Board

Date / /

Signature of the applicant

I herewith certify that the information furnished above by the applicant is true to the best of my knowledge. As per rules the student has been provisionally admitted in this school in class for the session Recommended for Eligibility Certificate to be issued.

Signature of the Principal
Seal

Note :- Following original Certificate and one copy of each of the following (duly certified by the Principal) should be sent with the application. (Original certificates will be returned after verification.)

- (a) School Leaving certificate duly countersigned by Dist. Education Officer.
- (b) Original or Provisional Certificate of having passed the examination issued by the other Board.

Important :- Final admission should not be given. In any case unless the formalities are completed.

मण्डल विनियम 122 के अनुसार ग्राह्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु
प्रार्थना-पत्र का नमूना

नोट:- यह प्रार्थना-पत्र निर्धारित ग्राह्यता शुल्क तथा वांछित मूल प्रमाण-पत्र व उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ सहित संबंधित विद्यालय के प्राचार्य द्वारा भेजा जाये। प्रार्थना-पत्र के समस्त कालमों की पूर्तियाँ की जाना अनिवार्य है।

1. प्रार्थी का नाम
2. प्रार्थी के पिता का नाम
3. प्रार्थी का वर्तमान पता
4. जन्म तिथि
5. प्रार्थी के पालक का नाम
प्रार्थी का उससे संबंध
6. इस मण्डल की हाईस्कूल
/ हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रार्थी द्वारा पूर्व में उत्तीर्ण अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय की मान्य अन्तिम परीक्षा का नाम (उस बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय का नाम जिसमें वह अध्ययनरत था।)
7. उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तिथि
8. यदि प्रार्थी ने इस मण्डल के क्षेत्र
में प्रवेश लेने के पूर्व अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्य इण्टरमीजिएट कक्षा के प्रथम / द्वितीय वर्ष अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा (प्री यूनिवर्सिटी) कक्षा में अध्ययन किया हो, तो संस्था, कक्षा, विषयों के नाम।
.....
.....
.....
9. इस मण्डल द्वारा मान्य विद्यालय का
नाम जिसमें प्रार्थी प्रवेश पाना चाहता है (प्रवेश लेने वाली कक्षा तथा विषयों का स्पष्ट खुलासा किया जाए)
10. इस मण्डल द्वारा मान्य संस्था में प्रवेश
चाहने का कारण।
दिनांक / /
प्रार्थी के हस्ताक्षर
मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थी द्वारा ऊपर दी गई माहिती मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है। छात्र को इस शाला में सत्र में कक्षा में नियमानुसार अस्थाई प्रवेश दिया गया है। ग्राह्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर प्राचार्य

पद मुद्रा

नोट-निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र और उनकी एक-एक (प्राचार्य द्वारा प्रमाणित) प्रतिलिपि प्रार्थना-पत्र के साथ भेजना चाहिए (मूल प्रमाण-पत्र जाच के उपरांत लौटा दिए जावेंगे।)

(अ) जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।

(ब) अन्य बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण होने का मूल अथवा प्रोव्हीजनल प्रमाण पत्र।

विशेष - किसी भी स्थिति में बिना औपचारिकताएं पूर्ण होने से पूर्व स्थाई प्रवेश न दिया जावे।

List of Examinations recognised by the Board of Secondary Education M.P. Bhopal.

(APPENDIX 'A')

- (A) The following Examinations are declared equivalent to the Board's High School Certificate Examination :-

ANDHRA PRADESH

1. The S.S.L.C. Examination (Higher Certification Examination /S.S.C Examination at the end of Xth std.) conducted by the Andhra Pradesh, Board of Secondary Education Hyderabad - 500001
2. The High school leaving certificate Examination of Hyderabad (Deccan). Provided that the candidate has passed in 1st or IIInd Division.
3. Matriculation Examination of Osmania University, Hyderabad
4. Matriculation Examination of Andhara University, Waltair.
5. The matriculation Examination of Shri Venkateshwar University. Tirupati.

ASSAM

1. High School Examination of Guwahati University Jalukhabli, Assam.
2. High school leaving Certificate Examination of the Assam Board of Secondary Education Guwahati.
3. The Matriculation Examination of Guwahati University Guwahati. Assam
4. Assam High Madarsa Guwahati conducted to Board of Secondary Education Assam Guwahati 21.

BIHAR

1. The High school examination /S.S.L.C. Examination. Secondary school Examination of the Bihar School examination Board Patna 800017.
2. Matriculation Examination of the Patna University provided that the candidate has passed in all the five subjects.

CHHATTISGARH

1. The High School and Higher secondary Examination of the Chhattisgarh Board of Secondary Education, Raipur are declared respectively equivalent to High school and Higher Secondary Examination of the Board of Secondary Education M.P. Bhopal Wide Circular No./256-257 Vidyo/2002 Dated 16/12/2002.

DELHI

1. The High School Examination of the Board of Secondary Education, Delhi provided that a candidate has passed the Examination in full five subjects, excluding (except) in the case of woman Candidate, Domenstic Science. As per notification No. 123-124/Vidhyo/10. Bhopal dated 20.04.2010, the equivalence given to this board/ Examination has been cancelled.

माध्यमिक शिक्षा मण्डल .म.प्र. भोपाल द्वारा मान्य परीक्षाओं की सूची :-
परिशिष्ट "अ"

(अ) निम्नलिखित परीक्षाएँ मण्डल की हाई स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा के समकक्ष मान्य की गई हैं:-

आंध्रप्रदेश

1. आंध्रप्रदेश 'बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एज्युकेशन, हैदराबाद द्वारा संचालित एस.एस.एल.सी. परीक्षा
(हायर सर्टिफिकेशन परीक्षा / 10वीं स्तर की अंतिम एस.एस.सी. परीक्षा)
2. हैदराबाद (डेकन) की हाईस्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा, यदि छात्र प्रथम या द्वितीय श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण है।
3. उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद की मैट्रिकुलेशन परीक्षा
4. आंध्र विश्वविद्यालय वाल्टेयर की मैट्रिकुलेशन परीक्षा !
5. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति की मैट्रिकुलेशन परीक्षा।

असम

1. गुवाहाटी विश्वविद्यालय जालूखल्ली असम, की हाईस्कूल परीक्षा।
2. असम बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एज्युकेशन, गुवाहाटी की हाईस्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा।
3. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम की मैट्रिकुलेशन परीक्षा।
4. बोर्ड आफ सेकेण्डरी एज्युकेशन असम, गुवाहाटी-21 की हाई मदरसा परीक्षा।

बिहार

1. बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड पटना 800017 की हाईस्कूल परीक्षा / एस.एस.एल.सी. परीक्षा / सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा।
2. पटना विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि छात्र सम्पूर्ण पांच विषयों में उत्तीर्ण है।

छत्तीसगढ़

1. विज्ञप्ति क्र./256-257/विद्यो0/2002 दिनांक 16/12/02 के द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर की हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल की क्रमशः हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के समकक्ष मान्य किया जाता है।

दिल्ली

1. बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एज्युकेशन, दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा यदि छात्र के सम्पूर्ण पाँच विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण की है, केवल महिला छात्राओं को छोड़कर, गृह विज्ञान मंडल के विज्ञप्ति क्र. 123-124/विद्यो./10 भोपाल दिनांक 20.04.2010 द्वारा समकक्षता समाप्त की गई।

2. The High School Examination of Jamia Millia, New Delhi.
3. Matriculation/Higher Secondary Part-I/Secondary School Examination/All India Secondary Examination/Secondary School Examination(Open School Setup) of The Central Board of Secondary Education, New Delhi.
4. All India/Delhi Secondary School-Examination and All India/Delhi Senior School Certificate Examination conducted by Central Board of Secondary Education Delhi.
5. The Indian Air Force Matriculation Test.
6. Army Special Certificate of Education.
7. Secondary School Examination, conducted by Army Head Quarters, New Delhi.
8. The Higher Education Examination of the Royal Indian Navy.
9. Higher Education Test Examination of Indian Navy.
10. Indian Certificate of Secondary Education of Council of the I.S.C. Examination, New Delhi provided that the candidate has passed the examination in five subjects.
11. The High School Examination of Board of Higher Secondary Education Delhi. In the meeting of 'Curriculum committee' date 21.10.2009, It was decided that Board of Secondary Education, Delhi. Rajputana Lal Bhavan, Gopalpur Village (Timarpura) Post Office Azadpur, New Delhi 9 Will not be considered equivalent to MPBSE M.P. BHOPAL. henceforth. It was also decided that examinees passed out of this board before or in 2009 will be eligible to participate in exams conducted by MPBSE M.P., BHOPAL
12. Secondary School Examination (Open School) of Central Board of Secondary Examination, New Delhi.
13. Secondary School Examination conducted to National Open School, Ring Road New Delhi - 110052
14. Secondary School Certificate Examination conducted to National Institute of Open Schooling New Delhi formerly known as National Open School.

GUJARAT

1. S.S.C. Examination of Gujarat S.S.C. Examination Board, Baroda/Gujarat Secondary Examination Board Gandhi Nagar 382019 Gujarat.
2. Metriculation Examination of the Gujarat University.
3. S.S.C. Examination of Gujarat University, Ahmedabad.

2. जामिया मिलिया नई दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा।
3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल नई दिल्ली की मैट्रीकुलेशन/हायर सेकेण्डरी भाग-1/सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा/अखिल भारतीय सेकेण्डरी परीक्षा/सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा (ओपन स्कूल सेटअप)।
4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली की ऑल इण्डिया/दिल्ली सेकेण्डरी परीक्षा एवं ऑल इण्डिया/दिल्ली सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा।
5. भारतीय वायु सेना मैट्रीकुलेशन टेस्ट।
6. आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एज्युकेशन।
7. थल सेना मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा संचालित सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा।
8. रॉयल भारतीय जल सेना की हायर एज्युकेशन परीक्षा।
9. भारतीय जल सेना हायर एज्युकेशन टेस्ट परीक्षा।
10. कौंसिल ऑफ दि आई.एस.सी. परीक्षा नई दिल्ली के इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एज्युकेशन यदि छात्र ने पाँच विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण की है।
11. बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एज्युकेशन, दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा की समकक्षता मंडल की विज्ञप्ति क्र. 739-740/ विद्योचित/2009, भोपाल दिनांक 07.11.2009 द्वारा समाप्त की गई, साथ ही यह भी निर्णय लिया कि इस बोर्ड से 2009 या इससे पूर्व में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को मण्डल की आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।
12. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल नई दिल्ली की सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा (ओपन स्कूल)
13. नेशनल ओपन स्कूल, रिग रोड, नई दिल्ली (भूतपूर्व नेशनल स्कूल द्वारा संचालित सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट, परीक्षा।)
14. नेशनल इन्स्टीट्यूट, ऑफ ओपन स्कूलिंग नई दिल्ली (भूतपूर्व नेशनल स्कूल द्वारा संचालित सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट, परीक्षा।)

गुजरात

1. गुजरात एस. एस. सी. परीक्षा मण्डल बड़ोदा/गुजरात सेकेण्डरी परीक्षा मण्डल गाँधीनगर 382019 गुजरात की एस. एस. सी. परीक्षा।
2. गुजरात विश्वविद्यालय की मैट्रीकुलेशन परीक्षा।
3. गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद की एस.एस.सी. परीक्षा।

GOA

1. S.S.C. Examination of Goa, Daman and Diu Board of Secondary and Higher Secondary Education Alto Betim Goa 403521. (Presently known as Goa Board of Secondary Education Alto Betim, Bordeg, Goa, - 403521)

HARYANA

1. Matriculation Examination / S.S.C Examination / SSC Vocational Examination of Board of School Education, Haryana State, Chandigarh/Bhivani - 127021/ Higher Secondary Part-I /Secondary Examination.
2. Junior Technical School Certificate Examination of Haryana State Board of Technical Education, Chandigarh.
3. According to the decision of Curriculum Committee dated 24.01.1997 and Circular No./96/Eval./Equivalency/97 dated 12/02/97 published by the Board, the Metric Examination and Senior Secondary Examination conducted by the Haryana Open School Panchkula (coming under Haryana School Education Board) are declared by this Board as equivalent to the High School and Higher Secondary Examination respectively.

HIMACHAL PRADESH

1. Matriculation Examination/Higher Secondary Part-I Examination (Since March 2001) of Himachal Pradesh Board of School Education, Simla, Dharamsala 176213 Distt Kangra HP.

JAMMU & KASHMIR

1. Matriculation Examination of the Jammu Kashmir Board of Secondary Education/ Jammu and Kashmir State Board of School Education.
2. Matriculation Examination of the University of Jammu and Kashmir, provided that the candidate has passed the Examination in all the five subjects.

JHARKHAND

1. Secondary Examination and Intermediate 10+2 Examination of Jharkhand Academic Council Ranchi.

गोवा

1. गोवा, दमन एवं दिऊ माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, अल्टो बेटिम, गोवा - 403521 की एस.एस.सी. परीक्षा। (वर्तमान में गोवा बोर्ड आफ सेकेण्डरी एज्युकेशन अल्टो बेटिम बार्डज गोवा-403521 के नाम से विख्यात)

हरियाणा

1. बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन, हरियाणा राज्य, चण्डीगढ़ / भिवानी-127021 की मैट्रीकुलेशन परीक्षा / हायर सेकेण्डरी भाग-1 परीक्षा। एस.एस.सी. व्यावसायिक / सेकेण्डरी परीक्षा।
2. हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा मण्डल, चण्डीगढ़ की जूनियर टेक्नीकल स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा।
3. पाठ्यचर्या समिति के निर्णय दिनांक 24.01.1997 एवं मण्डल द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति क्र. /96/मूल्यांकन/समकक्षता/97 दिनांक 12.02.97 के अनुसार हरियाणा ओपन स्कूल, पन्चकुला (हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधीन) संचालित मेट्रिक परीक्षा एवं सीनियर सेकेण्डरी परीक्षाओं को मण्डल की क्रमशः हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के समकक्ष मान्य किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश

1. हिमाचल प्रदेश विद्यालय शिक्षा मण्डल, शिमला, धर्मशाला 176213 जिला कांगड़ा (हि.प्र.) की मैट्रीकुलेशन परीक्षा / हायर सेकेण्डरी भाग-1 परीक्षा (मार्च 2001 से)

जम्मू कश्मीर

1. जम्मू कश्मीर माध्यमिक शिक्षा मण्डल / जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्यालय शिक्षा मण्डल की मैट्रीकुलेशन परीक्षा।
2. जम्मू एवं कश्मीर विश्वविद्यालय की मैट्रीकुलेशन परीक्षा यदि छात्र ने सम्पूर्ण पाँच विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण की है।

झारखण्ड

1. झारखण्ड एकेडेमिक काउन्सिल रांची की सेकेण्डरी एक्जामिनेशन तथा इण्टरमीडिट 10+2 परीक्षा

KARNATAKA

1. European Secondary school Certificate Examination of the Department of Public Instructions. Bangalore.
2. Higher Secondary School Certificate Examination of Secondary Examination Board Department of public Instruction, Bangalore.
3. Higher Secondary Certificate Public Examination 1963 (Hyderabad Rules) of Secondary Education Bangalore.
4. Anglo Indian S.S.C. Examination of the Karnataka Secondary Education Examination Board Bangalore.
5. S.S.L.C. Examination (at the end of the Xth Standard), of Secondary Education Board, Mysore, Bangalore, Provided that a candidate has been declared eligible for admission to University course.

KERALA

1. S. S. L. C. Examination of the Kerala Board of Public Examination, Trivendrum, 695012, provided that the candidate had been declared eligible for admission to University Course on the basis of his certificate.
2. The English School Leaving Certificate Examination of the Travancore State.
3. The Cochin State School Leaving Certificate Examination, subject to the condition that the candidate, having passed the examination, is declared eligible for admission in Madras University.

MADHYA PRADESH

1. Secondary Technical School Examination, formerly called High School Examination, conducted by the Board of Technical Education, Bhopal.
2. Secondary School Certificate Examination for Adult Women and High School Examination (Open School) of the Board of Secondary Education, M.P.
3. Purva Madhyama Examination of Avadhesh Pratap Singh University Rewa, provided that the candidate has passed the examination with English.
4. According to the decision of the Curriculum Committee dated 31/08/96 and wide Circular No./366-367/Eval./1/96 dated 04/10/96 the High School and Higher Secondary Examinations conducted by Madhya Pradesh State Open School are declared equivalent to the High School and Higher Secondary Examinations respectively of the Board of Secondary Education M.P. Bhopal.
5. According to the decision of the Curriculum Committee dated 24/04/02 and wide Circular No./157-158/Academic/02 dated 20/08/02 the syllabi of High School and Higher Secondary Examinations, Urdu medium, of State Madarsa Board, Bhopal being similar to the State Open School these examinations are declared equivalent to the High School and Higher Secondary Examinations respectively of the Board of Secondary Education M.P. Bhopal..

कर्नाटक

1. लोक शिक्षण विभाग बेंगलोर की यूरोपियन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा।
2. लोक शिक्षण विभाग बेंगलोर माध्यमिक शिक्षा मंडल की उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा।
3. माध्यमिक शिक्षा मण्डल बेंगलोर की उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र पब्लिक परीक्षा 1963. (हैदराबाद नियम)।
4. कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा मण्डल बेंगलोर की ऑगल भारतीय एस.एस.सी. परीक्षा।
5. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मैसूर, बेंगलोर की एस.एस.एल.सी. परीक्षा (10वीं स्तर के अन्त में) यदि छात्र यूनिवर्सिटी कोर्स में प्रवेश के लिए पात्र घोषित किया गया हो।

केरल

1. केरल बोर्ड ऑफ पब्लिक एक्जामिनेशन त्रिवेन्द्रम 695012 की एस.एस.सी. परीक्षा. यदि छात्र प्रमाण पत्र अनुसार यूनिवर्सिटी कोर्स में प्रवेश हेतु पात्र घोषित किया गया है।
2. त्रावणकोर राज्य की इंग्लिश स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा।
3. कोचीन राज्य स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र मद्रास विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र घोषित किया गया है।

मध्यप्रदेश

1. तकनीकी शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित माध्यमिक तकनीकी विद्यालय परीक्षा जिसे पूर्व में हाईस्कूल परीक्षा कहा गया था।
2. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की प्रौढ़ महिलाओं के लिए माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा एवं हाईस्कूल एवं हाईस्कूल परीक्षा (ओपन स्कूल)
3. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की पूर्व मध्यमा परीक्षा, यदि छात्र ने अंग्रेजी के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हों।
4. पाठ्यचर्या समिति के निर्णय दिनांक 21/08/06 एवं विज्ञप्ति क्र./366-367/मूल्या./1/96 दिनांक 04/10/96 के अनुसार मध्यप्रदेश, राज्य ओपन स्कूल भोपाल द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा हायर सेकेंडरी परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल की क्रमशः हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के समकक्ष मान्य किया जाता है।
5. पाठ्यचर्या समिति के निर्णय दिनांक 24/04/02 एवं विज्ञप्ति क्र./157-158/विज्ञप्ति/02 दिनांक 20/08/02 के अनुसार राज्य मदरसा बोर्ड भोपाल द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी उर्दू माध्यम की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम, राज्य ओपन स्कूल के समान होने से इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0, भोपाल की क्रमशः हाईस्कूल तथा हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के समान समकक्षता प्रदान की जाती है।

6. As per Letter No. F-44-1-20-3-2007 dated 18 August 2008 of M.P. Government School Education Department, M.P. Sanskrit Board was dissolved in Maharishi Patanjali Sanskrit Sanstan Bhopal as a result "Poorva Madhyama" and "Uttar Madhyama" Examinations conducted by Maharishi Patanjali Sanskrit Sansthan are considered as equivalent to High School and Higher Secondary Exams consequitvly, of MPBSE MP BHOPAL. Notification No. 578-579 Academic/2009 dated 27.4.2009. Earlier. As per the Notification No. 560-561 Academic/2005 dated 26.02.2005, The Poorva Madhyama and Uttar Madhyama Examination conducted by Madhya Pradesh Sanskrit Board were considered as equivalent to High School and H.S.S.C. Examination conducted by Madhyamik Shiksha Mandal Madhya Pradesh, Bhopal.

MAHARASHTRA

1. S. S. C Examination (Std.X) of Maharashtra State Divisional Board Pune, Nagpur, Aurangabad, Mumbai, Kolhapur Amravati, Nasik & Latur provided that the candidate has passed the Examination with English as a subject.
2. The Secondary School Certificate Examination of the Vidarbha Board of Secondary Education, Nagpur.
3. S. S. C. Examination of the Board of Secondary School Certificate Examination Bombay (Poona), provided that the candidate has passed the Examination with English as a subject.
4. Matriculation Examination of University of Bombay.

MANIPUR

1. High School Leaving Certificate Examination (10th Standard) of the Board of Secondary Education Manipur, Imphal -795001
2. High School Leaving Certificate Examination (Old Course) of the Board of Secondary Education Manipur, Imphal.

MEGHALAYA

1. High School/Secondary School Leaving Certificate/Secondary School Certificate Examination Secondary School Certificate Examination (after class X) of Meghalaya Board of School Education, Tura, Meghalaya - 794101

6. म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ.44 -1-बीस -3-2007 दिनांक 18 अगस्त 2008 के द्वारा संस्कृत संस्थान बोर्ड का विलय महर्षि पतन्जलि संस्कृत संस्थान भोपाल में हों जाने के फलस्वरूप महर्षि पतन्जलि संस्कृत संस्थान की पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश, भोपाल की विज्ञप्ति क्र. 578, 579/विद्योचित/2009 दिनांक 27.04.2009 द्वारा क्रमशः हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के समकक्ष मान्य किया जाता है। पूर्व में मंडल की विज्ञप्ति क्र. 560-561/विद्योचित/2005 दिनांक 26.02.2005 द्वारा मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल की क्रमशः हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के समकक्ष मान्य किया गया था।

महाराष्ट्र

1. महाराष्ट्रराज्य सभागीय मण्डल, पुणे नागपुर, ओरंगाबाद, मुम्बई, कोल्हापुर, अमरावती नासिक एवं लातूर की एस.एस.सी. परीक्षा यदि छात्र ने अंग्रेजी के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है।
2. विदर्भ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नागपुर की माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा।
3. एस.एस.सी. परीक्षा मण्डल मुम्बई (पुणे) की माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा, यदि छात्र ने अंग्रेजी एक विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है।
4. मुम्बई विश्वविद्यालय की मैट्रीकुलेशन परीक्षा।

मणिपुर

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मणिपुर, इम्फाल 796001 की हाईस्कूल लीविंग प्रमाण-पत्र परीक्षा (10वीं स्तर)
2. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मणिपुर इम्फाल की हाईस्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा (पुराना पाठ्यक्रम)।

मेघालय

1. मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन, तुरा मेघालय - 794101 की हाईस्कूल लीविंग सर्टिफिकेट/मध्यप्रदेश विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा। (कक्षा 10वीं के बोर्ड)

MIZORAM

1. The High School Leaving Certificate Examination of Mizoram Board of School Education, Aizwal - 796001

NAGALAND

1. High School Leaving Certificate Examination, at the end of class X, of Nagaland Board of School Education, Kohima - 797001

ORISSA

1. The Matriculation Examination conducted by the Utkal University, Cuttack.
2. High School Certificate Examination of the Board of Secondary Education, Orissa, Cuttack. 753001

PUNJAB

1. The Matriculation Examination of the Punjab University.
2. Matriculation Examination / Higher Secondary Part-I Examination of the Punjab School Education Board, Chandigarh/S.A.S. Nagar, Mohali (Ropar). 160055
3. Higher Secondary (Core subjects) of the Punjab Examination University, Chandigarh and Higher Secondary Examination of the Punjab University provided the candidate has passed in Mathematics and English.
4. Higher Secondary Part-I Examination with English (after 1964 and before 1970) of the Punjab University. Chandigarh, with English as a subject.

RAJASTHAN

1. The High School Examination/ Secondary School Examination of the Board of Secondary Examination Rajasthan, Jaipur/Ajmer. 305001
2. The High School Examination of the Central Board of Secondary Education, Ajmer.
3. Praveshika Examination of the Board of Secondary Education Rajasthan, Ajmer if passed with English as a subject.
4. High School Examination of Rajputana University, Jaipur.
5. High School Examination of University of Rajasthan, Jaipur.
6. Secondary School Certificate Examination of Banasthali Vidyapeeth, Banasthali Rajasthan.

मिजोरम

1. मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन, ऐजवाल 796001 की हाईस्कूल लीविंग प्रमाण पत्र परीक्षा।

नागालैण्ड

1. नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एज्युकेशन कोहिमा - 797001 की हाईस्कूल लीविंग प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 10 के अंत में।

उड़ीसा

1. उत्कल विश्वविद्यालय, कटक द्वारा संचालित मैट्रिकुलेशन परीक्षा।
2. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, उड़ीसा, कटक 753001 की हाईस्कूल प्रमाण - पत्र परीक्षा।

पंजाब

1. पंजाब विश्व विद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा।
2. पंजाब विद्यालय शिक्षा मण्डल, चण्डीगढ़/एस.ए.एस. नगर, मोहाली (रोपड़) 160055 की मैट्रिकुलेशन परीक्षा/हायर सेकेण्डरी भाग - I परीक्षा।
3. पंजाब विश्व विद्यालय, चण्डीगढ़ की हायर सेकेण्डरी (कोर विषय) परीक्षा एवं गणित एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण हायर सेकेण्डरी परीक्षा।
4. पंजाब विश्व विद्यालय, चण्डीगढ़ की हायर सेकेण्डरी भाग-I परीक्षा अंग्रेजी के साथ (1964 के पश्चात् एवं 1970 के पूर्व)।

राजस्थान

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान जयपुर/अजमेर 305001 की हाईस्कूल परीक्षा/माध्यमिक विद्यालय परीक्षा।
2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अजमेर की हाईस्कूल परीक्षा।
3. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, अजमेर की प्रवेशिका परीक्षा अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण।
4. राजपूताना विश्व विद्यालय, जयपुर की हाईस्कूल परीक्षा।
5. राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर की हाईस्कूल परीक्षा।
6. वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, राजस्थान की माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा।

TAMILNADU

1. Matriculation Examination of Madurai University, Madurai.
2. Junior Technical School Certificate. Final Examination, of Directorate of Technical Education. Tamilnadu, provided that the candidate has passed the Examination in all subjects in one attempt and provided further that the candidate has secured not less than 40% marks in English and regional languages.
3. Anglo Indian High School Examination of Madras State.
4. Matriculation Examination of Madras University.
5. S.S.L.C. Examination of Tamil Nadu Board of Secondary Education Madras 600006.

TRIPURA

1. S.S.C. Examination of Tripura Board of Secondary, Agartala.
2. Secondary Examination of Tripura Board of Secondary Education Agartala.

UTTAR PRADESH

1. The High School/High School (Technical) Examination of the Board of High School and Intermediate Examination Uttar Pradesh.
2. Diploma Examination of Rashtriya Indian Military College, Dehradun..
3. Vidya Vinodini Examination held by the Prayag Mahila Vidyapeeth, 556 Daraganj or 106 Hewitt Road, Allahabad, provided that the candidate had passed the Examination during 1946 and May 1964.
4. As per the notification No. 151-A. 152-B/Vidya/2013-dated 19.06.2013 the examination of class 10th conducted by Dayal bag Education Institute (Deemed University) Agra, will be considered equivalent to Class 10th examination conducted by MPBSE M.P. Bhopal.
5. Entrance Examination of the Banaras Hindu University, Banaras.
6. The candidates, having passed in all sections/parts of the prathama and madhyama Examination of Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad, can appear in English only as a subject in High School Examination conducted by Correspondence Courses of this Board. Such candidate, after passing in English will be equivalent to High School Examination of this Board. As per notification No. 105, 106/Vidyo/2007 dated 15-02-2007 the above mentioned /Correspondence Courses, should be read as ' private candidates.
7. High School Examination of Aligarh Muslim University, Aligarh.
8. Purva Madhyama Examination of Sanskrit College Banaras/Sampoornanand Vishwaridyalaya Banaras Alongwith English as an additional subject.
9. Vidyadhikari/Matriculation Examination of The Gurukul kangari Vishwa Vidhyalaya Haridwar, Provided that the candidate has not passed in the Supplementary Examination.

तमिलनाडु

1. मदुरै विश्वविद्यालय, मदुरै की मैट्रीकुलेशन परीक्षा।
2. तकनीकी शिक्षा संचालनालय तमिलनाडु की जूनियर तकनीकी विद्यालय प्रमाण पत्र अंतिम परीक्षा, यदि छात्र ने प्रथम बार में सभी विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा छात्र ने अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में 40% से कम अंक अर्जित न किए हों।
3. मद्रास राज्य की ऑगल भारतीय हाईस्कूल परीक्षा।
4. मद्रास विश्वविद्यालय की मैट्रीकुलेशन परीक्षा।
5. तमिलनाडु माध्यमिक शिक्षा मण्डल मद्रास 600006 की एस.एस.एल.सी. परीक्षा।

त्रिपुरा

1. त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा मण्डल अगरतला की एस.एस.सी. परीक्षा।
2. त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अगरतला की माध्यमिक परीक्षा।

उत्तर प्रदेश

1. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा मण्डल, उत्तरप्रदेश की हाई स्कूल / हाई स्कूल (तकनीकी) परीक्षा।
2. राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कालेज, देहरादून की डिप्लोमा परीक्षा।
3. प्रयाग महिला विद्यापीठ 556 उत्तरांचल अथवा 106 हेविट रोड, इलाहाबाद द्वारा आयोजित विद्या विनोदिनी परीक्षा। यदि छात्र ने 1946 तथा मई 1964 के मध्य परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
4. मंडल की विज्ञप्ति क्र. 151-A, 151-B / विद्योचित / 2013 दिनांक 19.06.2013 द्वारा दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट (डीन्ड यूनिवर्सिटी) आगरा द्वारा संचालित कक्षा 10वीं की परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित कक्षा 10वीं की परीक्षा में समतुल्य समकक्षता प्रदान की जाती है
5. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस की प्रवेश परीक्षा।
6. हिन्दी साहित्य सम्मलेन इलाहाबाद से प्रथमा एवं मध्यमा परीक्षा के सभी खण्ड उत्तीर्ण छात्र, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल से स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में हाईस्कूल परीक्षा में केवल एक विषय अंग्रेजी लेकर सम्मिलित हो सकते हैं। इस एक विषय में उत्तीर्ण छात्र मण्डल की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष होंगे। विज्ञप्ति क्र. 105, 106 / विद्योचित / 2007 दिनांक 15.02.2007
7. अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय अलीगढ़ की हाईस्कूल परीक्षा।
8. संस्कृत महाविद्यालय, बनारस / सम्पूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस की पूर्व मध्यमा परीक्षा अंग्रेजी, अतिरिक्त विषय के साथ।
9. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की विद्याधिकारी मैट्रीकुलेशन परीक्षा, यदि छात्र ने पूरक से परीक्षा उत्तीर्ण न की हो।

UTTRANCHAL

1. According to circular No./262-263/Academic/2002 dated 24/12/02 the High school and Intermediate Examinations of Uttranchal University Education and Examination Council Ram Nagar Nainital are declared equivalent respectively to the High School and Higher Secondary Examinations of Board of Secondary Education M.P. Bhopal since the year 2007, The 'Uttranchal Shiksha and Pariksha Parishad' has been renamed as 'Uttarakhand, Vidhyalaya, Shiksha Parishad Ramnagar, Nainital

West Bengal

1. The High School Examination/School Final Examination of the Board of Secondary Education, West Bengal, Calcutta. 70016
2. School Certificate Examination of Vishwa Bharati University Bolpur.
3. High Madarsah Examination of West Bengal Board of Madarsah, Kolkata.
4. Aalim Examination (Under Senior Madarsah System) of West Bengal Board of Madarsah, Kolkata.

MISCELLANEOUS

1. Public Examination of any State Conducted at the end of Class X under 10+2+3 Pattern of Education of any Statutory Board University.
2. As per the notification No. 241-242/Vidya/2010, date 07.09.2011, the examination of Class 10th (Local) Conducted by CBSE board is declared equivalent to class 10th examination of MPBSE, M.P. Bhopal.
3. As per the notification no./203-204/vidyo/2010 dated 14.07.2010, the examination of International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) conducted by University of Cambridge International Exam (CIE) is declared equivalent to class 10th examination of MPBSE M.P. Bhopal.

उत्तरांचल

1. विज्ञप्ति क्र. /262-263/विद्यो./2002 दिनांक 26.12.02 के द्वारा उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियेट परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल की क्रमशः हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के समकक्ष मान्य किया गया। वर्ष 2007 में उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद के स्थान पर उक्त बोर्ड का नाम उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल परिवर्तित किया गया है। (मंडल की विज्ञप्ति क्र. 337-338/विद्योचित/2014 दिनांक 07.02.2014)

पश्चिम बंगाल

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पश्चिम बंगाल, कोलकाता की हाईस्कूल परीक्षा/विद्यालय अंतिम परीक्षा।
2. विश्व भारती विद्यालय, बोलपुर की विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा।
3. पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा मण्डल कोलकाता की हाई मदरसा परीक्षा।
4. पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा मण्डल कोलकाता की आलिम परीक्षा (सीनियर मदरसा के अन्तर्गत)

विविध

1. अधिनियमित मण्डल/विश्व विद्यालय द्वारा किसी राज्य की पब्लिक परीक्षा 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत 10वीं कक्षा के अंत में संचालित की गई हो।
2. विज्ञप्ति क्र. 241-242/विद्यो./2010 दिनांक 07.09.2011 द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा-10वीं की स्थानीय (लोकल) परीक्षा को म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा-10वीं की परीक्षा के समतुल्य समकक्षता प्रदान की जाती है।
3. विज्ञप्ति क्रमांक/203-204/विद्यो/2010 दिनांक 14.07.2010 द्वारा यूनिवर्सिटी आफ केम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जाम (CIE) की इन्टरनेशनल जनरल सर्टीफिकेट ऑफ सेकेंडरी एज्युकेशनल (IGCSI) परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य किया जाता है।

FOREIGN EXAMINATION

1. Anglo Vernacular High School and the English School Examination Burma.
2. High School/Matriculation - S.S.C. Examination of the Board of Intermediate and Secondary Education Decca-East Bengal Education Board Decca/East Pakistan Secondary Education Board, Decca.
3. S. S. C. Examination of the Board of Intermediate and Secondary Education, Comilla (East Pakistan).
4. S. S. C. Examination of the Board of Intermediate and Secondary Education Jessore (Bangala Desh) .
5. Final Examination of Lower Secondary Education (GradeX) conducted by the Ministry of Education, Bangkok, Thailand.
6. General Certificate of Education Examination (Ordinary Level) of Ceylon, formerly called Senior School Certificate Examination, provided that the candidate has passed the examination in five subjects.
7. East African Certificate of Education incorporating a General Certificate Examination provided that the candidate has passed the Examination in five subjects including 4 subjects prescribed for Higher Secondary Examination in the Board.
8. Junior Certificate of Education of the Department of Education, Fiji Island.
9. 5th Grade Examination of Ministry of Education and Training, Iran.
10. The School Leaving Certificate Examination conducted by the Govt. of Nepal provided that the candidate has passed the examination in 1st or 2nd Division.
11. Matriculation Examination of Sind University (West - Pakistan)
12. Matriculation Examination of Punjab University Lahore, Passed before (15/08/1947).
13. Transval Entrance Certificate Examination of the Transval University provided that the candidate is exempted from the Matriculation Examination of the University of the South Africa.

विदेशी परीक्षाएँ

1. बर्मा की ऑग्ल वर्नाकुलर हाई स्कूल एवं इंग्लिश स्कूल परीक्षा।
2. इण्टरमीडिएट एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल, ढाका-पूर्वी पाकिस्तान शिक्षा मण्डल, ढाका/पूर्वी पाकिस्तान माध्यमिक शिक्षा मण्डल ढाका की हाईस्कूल/मैट्रीकुलेशन - सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा।
3. इण्टरमीडिएट एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल कोमिला (पूर्वी-पाकिस्तान) की सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा।
4. इण्टरमीडिएट एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल जेंसोर (बांग्लादेश) की सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा।
5. शिक्षा मंत्रालय बैंकाक, थाइलैण्ड की लोअर सेकेण्डरी एज्युकेशन (ग्रेड X) अंतिम परीक्षा।
6. सीलोन की सामान्य स्तर की जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एज्युकेशन परीक्षा (सामान्य-स्तर), पूर्व में सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा कहा जाता था, यदि छात्र ने पाँच विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण की है।
7. जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एज्युकेशन को समाविष्ट करते हुए ईस्ट अफ्रीकन सर्टिफिकेट ऑफ एज्युकेशन, यदि छात्र ने पाँच विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण की है, मण्डल में हायर सेकेण्डरी परीक्षा के लिए निर्धारित मान्य 4 विषयों सहित।
8. फिजी द्वीप की शिक्षा विभाग की जूनियर सर्टिफिकेट ऑफ एज्युकेशन।
9. शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ईरान की 5वीं ग्रेड परीक्षा।
10. नेपाल शासन द्वारा संचालित स्कूल लीविंग प्रमाण पत्र परीक्षा यदि छात्र प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण है।
11. सिंध विश्वविद्यालय (पश्चिमी पाकिस्तान) की मैट्रीकुलेशन परीक्षा।
12. पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर की मैट्रीकुलेशन परीक्षा (15.08.1947 के पूर्व)
13. ट्रान्सवाल विश्वविद्यालय की ट्रान्सवाल प्रवेश प्रमाण पत्र परीक्षा यदि छात्र को दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय की मैट्रीकुलेशन परीक्षा से छुट दी गई हो।

14. General Certificate of Education Examination of the Cambridge School Examination Board, Cambridge University, provided that the candidate has passed the Examination in five subjects.
15. General Certificate of Education Examination (Ordinary level) of London University, provided that the candidate has passed the Examination in five subjects.
16. Form II Examination of Republic of Kenya.
17. School Certificate Examination form V (Ordinary Level) of Mauritius Examination Syndicate.
18. The examination passed from other Countries in addition to the aforesaid countries, the equivalency Certificate should be obtained from Association of Indian Universities A.I.U. House, 16 Kofla Marg, New Delhi - 110002

(APPENDIX 'B')

- (A) The following Examinations are declared equivalent to class eighth, for the purpose of appearing in the Board's Examination privately :-
1. Prathama/Madhyama/Shastri and Acharya examinations of Bihar Sanskrit Association Patna and Kameshwar Singh Sanskrit University, Darbhanga.
 2. Army First Grade Certificate Examination.
 3. Pre-Vocational Certificate Examination.
 4. 7th Class Public Examination passed alongwith Teacher's Training Examination.
 5. Praveshika/Madhyama, Shastri and Acharya Examinations of Bihar Vidhya Bhawan, Bombay.
 6. Prathama/Madhyama/Shastri Acharya, Examinations of Varanasi Sanskrit Vishvavidyalay, Varanasi.
 7. Vernacular, Final Examination of Uttar Pradesh.
 8. Praveshika Pariksha of Prayag Mahila Vidyapeeth 556 Dara Ganj, or 106 Hewett Road, Allahabad, provided that the candidate had passed the Examination during 1946 and May, 1964.
 9. Prathama and Madhyama Examinations of Hindi Sahitya Sammelan Prayag.

14. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज विद्यालय परीक्षा मण्डल की जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एज्युकेशन, यदि छात्र ने पाँच विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
15. लन्दन विश्वविद्यालय की जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एज्युकेशन परीक्षा (सामान्य स्तर), यदि छात्र पाँच विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण है।
16. केन्या गणराज्य की फॉर्म II परीक्षा।
17. मॉरीशस परीक्षा सिण्डिकेट की विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा फॉर्म V (सामान्य स्तर)।
18. उपरोक्त देशों के अतिरिक्त अन्य देशों से उत्तीर्ण परीक्षा की समकक्षता प्रमाण पत्र एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एन.आई.यू. हाऊस 16 कोटला मार्ग नई दिल्ली - 110002 से प्राप्त कर लाना होगा।

परिशिष्ट "ब"

- (अ) निम्नलिखित परीक्षाएं मण्डल परीक्षाओं में स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने हेतु कक्षा आठवीं के समकक्ष मान्य की गई हैं :-
1. बिहार संस्कृत परिषद, पटना एवं कागेश्वर सिंह संस्कृत विश्व विद्यालय, दरभंगा की प्रथमा/मध्यमा/शास्त्री एवं आचार्य परीक्षा।
 2. सेना प्रथम श्रेणी प्रमाण पत्र परीक्षा।
 3. पूर्व - व्यावसायिक प्रमाण पत्र परीक्षा।
 4. शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के साथ 7वीं क्लास पब्लिक परीक्षा।
 5. बिहार विद्या भवन, बम्बई की प्रवेशिका/मध्यमा, शास्त्री एवं आचार्य परीक्षा।
 6. बाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की प्रथमा/मध्यमा/शास्त्री आचार्य परीक्षा।
 7. उत्तर प्रदेश की वर्नाकुलर अंतिम परीक्षा।
 8. प्रयाग महिला विद्यापीठ, 556 दारागंज, अथवा 106 हेविट रोड, इलाहाबाद की प्रवेशिका परीक्षा यदि छात्र ने 1946 से मई 1964 के मध्य परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
 9. हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की प्रथमा एवं मध्यमा परीक्षा।

10. Hindustani Middle Certificate Examination of Uttar Pradesh.
11. Madhyama and Tirth Examinations of Bangiya Sanskrit Shiksha Parishad, Calcutta.
12. Class 8th, Praveshika/ Visharad/ Shastri Examinations of All India Digamber Jain Mahasabha Parikshalaya, Indore.

(APPENDIX 'C')

According to provision of the Board's Regulation 101 candidate who have passed Oriental Examinations can appear privately in Board's High School Examination offering only English and or Hindi/Sanskrit subjects. For this purpose the following Oriental Examinations are recognized.

Name of Examination	Remarks.
1. Hindi Sahitya Sammelan. Prayag 1- Prathma Examination 2- Madhyama Examination:-	After passing these examination the candidate can appear in High School Examination offering only English or Sanskrit subjects.
2. Prayag Mahila Vidyapeeth. Allahabad. Vidushi Examination	The candidate having passed the aforesaid examination can appear in High School Examination of the Board offering English and or Hindi / Sanskrit only.
3. Rashtra Bhasha Prachar Samiti Varsha Ratna Pariksha.	The candidate having passed the aforesaid examination can appear in High School Examination of this Board offering English and or Hindi Sanskrit.

10. उत्तर प्रदेश की हिन्दुस्तानी मिडिल प्रमाण पत्र परीक्षा।
11. बागिया संस्कृत शिक्षा परिषद, कोलकाता की मध्यमा एवं तीर्थ परीक्षा।
12. अखिल भारतीय दिगम्बर जैन महासभा परीक्षालय, इन्दौर की कक्षा 8 प्रवेशिका / विशारद / शास्त्री परीक्षा।

परिशिष्ट "स"

- (1) मण्डल विनियम 101 के प्रावधान के अनुसार ओरिएण्टल (Oriental) परीक्षा उत्तीर्ण छात्र मण्डल की हाईस्कूल परीक्षा में केवल अंग्रेजी और या हिन्दी / संस्कृत विषय लेकर स्वाध्यायी रूप से बैठ सकते हैं। इस हेतु ओरिएण्टल परीक्षाओं को निम्नानुसार मान्यता है :-

परीक्षा का नाम	अभ्युक्ति
1. हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1 - प्रथमा परीक्षा 2- मध्यमा परीक्षा	इन परीक्षा को पास करने के पश्चात छात्र हाईस्कूल परीक्षा में केवल अंग्रेजी या / संस्कृत विषय लेकर बैठ सकते हैं।
2. प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद विदुषी परीक्षा	उक्त परीक्षा पास छात्र मण्डल की हाई स्कूल परीक्षा में केवल अंग्रेजी तथा या हिन्दी / संस्कृत विषय लेकर बैठ सकते हैं।
3. राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्षा रत्न परीक्षा -	वे विद्यार्थी जिन्होंने उक्त परीक्षा पास की है। इस मण्डल की हाईस्कूल परीक्षा में अंग्रेजी और या हिन्दी / संस्कृत लेकर बैठ सकते हैं।

Hindi Sanskrit.

4. Lucknow University
Vidushi Examination.
1- Diploma Examination

The candidate having passed the
aforesaid examination can appear
in High School Examination of the
the Board offering English or
Hindi Sanskrit only.

.....As above

2- Diploma Examination
of Arabic and Persian

5. Gurukul University Vrindavan
Adhikari Pariksha of Sanskrit

.....As above

6. The following of Examinations
conducted by Education
Department Uttar Pradesh

1- Moulvi of Arabic
Aalim, Fazil Examinations

..... As above

2- Munshi and Kamil
Examination of Persian

..... As above

3- Hindi Kovid Examination
Part - 2

..... As above

4- Advanced Urdu Examination
Part - 2

..... As above

7. Board of High School and
Intermediate examination
Ajmer

1- Bhushan Examination

..... same as above

2- Prabhakar Examination

..... same as above

8. Panjab University
1- Bhushan Examination
2- Prabhakar Examination

..... same as above

..... same as above

4. लखनऊ यूनीवर्सिटी
विदुषी परीक्षा
1- संस्कृत की डिप्लोमा परीक्षा
2- अरेबिक व परशियन की डिप्लोमा परीक्षाएँ।
उक्त परीक्षा पास छात्र मण्डल की हाई स्कूल परीक्षा में केवल अंग्रेजी तथा या हिन्दी/संस्कृत विषय लेकर बैठ सकते हैं।
..... / /
5. गुरुकुल यूनीवर्सिटी वृन्दावन
संस्कृत की अधिकारी परीक्षा।
..... / /
6. शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश
द्वारा संचालित परीक्षाएँ
1- अरेबिक की मौलवी, आलिम, फाजिल परीक्षाएँ।
2- परशियन की मुन्शी तथा कामिल परीक्षाएँ।
3- हिन्दी कोविद परीक्षा भाग - 2
4- एडवॉरन्ड उर्दू परीक्षा भाग - 2
..... / /
..... / /
7. बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एज्युकेशन
अजमेर
1. भूषण परीक्षा
2. प्रभाकर परीक्षा
..... / /
..... / /
8. पंजाब यूनीवर्सिटी
1. भूषण परीक्षा
2. प्रभाकर परीक्षा
..... / /
..... / /

9. Govt. Sanskrit College
Banaras
10. Banaras Hindu University.
11. Sanskrit Vidyapeeth Banaras.
12. Bangiya Sanskrit Shiksha Parishad Calcutta.
13. Rajputana University.
The candidates having passed the Examination
of Sanskrit conducted by these institutions can
appear in High School Examination of the Board
offering English or Hindi Sanskrit only.
14. Punjab University.
15. Jamia Urdu Aligarh
1-Adeeb Examination
Having passed the aforesaid Examination, the
candidate can appear in High School Examination
of this Board offering only English as a subject.
- 2- Adeeb Mahir Examination.
Having passed the aforesaid examination the
candidate can appear in Higher Secondary
Examination of this Board offering only English
as a subject if he has passed High School
examination.

As per Board's Regulation 101, Candidates who have passed in English and/or Hindi/
Sanskrit only can appear in Intermediate or Higher Secondary Examination privately
offering English and/or Hindi Sanskrit only wide Board's Regulation 102.

According to provision 103 of the Board's Regulation such candidates who have
passed High School or Higher Secondary Examination in English only, can appear in
the remaining subjects of High School, Higher Secondary Examination as the case
may be.

9. गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज
बनारस
10. बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी
11. संस्कृत विद्यापीठ बनारस
12. बंगीय संस्कृत शिक्षा परिषद, कलकत्ता
13. राजपूताना यूनिवर्सिटी

इन संस्थाओं द्वारा संचालित संस्कृत की परीक्षाएँ पास छात्र मण्डल की हाईस्कूल परीक्षा में केवल अंग्रेजी या हिन्दी संस्कृत विषय लेकर बैठ सकते हैं।

14. पंजाब यूनिवर्सिटी
15. जामिया उर्दू अलीगढ़
1-- अदीब परीक्षा

उक्त परीक्षा पास छात्र मण्डल की हाईस्कूल परीक्षा में केवल अंग्रेजी विषय लेकर बैठ सकते हैं

- 2-- अदीब माहिर परीक्षा

उक्त परीक्षा पास छात्र मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा में केवल अंग्रेजी विषय लेकर बैठ सकते हैं यदि हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हैं।

मण्डल विनियम 101 के अनुसार केवल अंग्रेजी और/या हिन्दी/संस्कृत में हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण छात्र मण्डल विनियम 102 के अनुसार इण्टरमीडिएट या हायर सेकेण्डरी परीक्षा में केवल अंग्रेजी और या हिन्दी/संस्कृत में स्वाध्यायी रूप से बैठ सकते हैं।

मण्डल विनियम 103 के प्रावधान के अनुसार ऐसे छात्र जिन्होंने हाईस्कूल या हायर सेकेण्डरी परीक्षा केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण की है वे हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी परीक्षा के शेष विषयों में सम्मिलित हो सकते हैं।



माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल

E-mail: mpbse@mp.nic.in website: www.mpbse.nic.in

कार्या. (0755) 2551166-71, फैक्स.-(0755) 2554398, 2552061

क्रमांक/1939/विद्योचित/२०१९

भोपाल, दिनांक 31/01/२०१९

// विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ सी-३-५/२०१८/१/३ भोपाल, दिनांक १६ अगस्त २०१८ अनुसार कक्षा ८वीं अथवा कक्षा १०वीं उत्तीर्ण छात्र नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग/स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा आयोजित दो या दो वर्ष से अधिक के मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त मध्य प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित क्रमशः हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में दो विषय यथा सामान्य हिन्दी एवं एक अन्य वैकल्पिक विषय जो छात्र द्वारा चयनित किया जावे, लेकर सम्मिलित हो सकेंगे।

मध्य प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा के दो विषयों में उत्तीर्ण छात्रों को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप कक्षा १०वीं एवं १२वीं (विज्ञान संकाय) की समकक्षता प्रदाय करते हुए समेकित पांच विषयों की अंकसूची प्रदाय की जायेगी।

उपरोक्त व्यवस्था सत्र २०१८-१९ से लागू होगी।

31/1
सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31/01/२०१९

पृ.क्रमांक/1940/विद्योचित/२०१९

प्रतिलिपि :-

१. निज सचिव, अध्यक्ष/सचिव/अति.सचिव/उप सचिव/परीक्षा नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल।
२. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
३. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
४. संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र, म.प्र. भोपाल।
५. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय पंडित सुंदरलाल शर्मा, व्यावसायिक संस्थान, श्यामला हिल्स, भोपाल।
६. संचालक, राज्य शैक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, म.प्र. भोपाल।
७. प्रबंध संचालक, म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल।
८. संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र. भोपाल।
९. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
१०. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, मध्यप्रदेश।
११. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
१२. आंचलिक अधिकारी, म.प्र. मा.शि.म. इन्दौर।
१३. समस्त संभागीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र.।

१४. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारीगण माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल।
१५. जनसम्पर्क अधिकारी, मा.शि.मं. की ओर प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशन हेतु।
१६. सी.एस.ओ., मा.शि.मं. भोपाल और वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
१७. समस्त सहायक सचिव, परीक्षायें, मा.शि.मं.।
१८. सहायक सचिव/समन्वय/गोपनीय/डाटा प्रभारी मा.शि.मं.।
१९. प्राचार्य, समस्त उत्कृष्ट विद्यालय.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

३१/५
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र०, भोपाल

E-mail id : mpbse@mp.nic.in, Website : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या. - (0755) 2551166-71

148

प्र.क्रमांक / 3845 / विद्योचित / 2023

भोपाल, दिनांक 16/05/2023

// संशोधित विज्ञप्ति //

पाठ्यचर्या समिति की बैठक दिनांक 01.05.2023 के निर्णयानुसार भारतीय शिक्षा बोर्ड हरिद्वार-उत्तराखण्ड - 249405 द्वारा संचालित कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा संचालित कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की परीक्षा के समतुल्य समकक्षता प्रदान की जाती है।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/05/2023

पृ.क्रमांक / 3846 / विद्योचित / 2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म०प्र० भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
4. संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग म०प्र० भोपाल।
5. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् म०प्र० भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, पाठ्यपुस्तक निगम, म०प्र० भोपाल।
7. संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग म०प्र० भोपाल।
8. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. समस्त सदस्य म०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल पाठ्यचर्या समिति की ओर प्रेषित।
11. आंचलिक अधिकारी, म०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल इन्दौर।
12. समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
13. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारीगण, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, मा.शि.मं. की ओर प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु।
15. सी.एस.ओ. मा.शि. मण्डल भोपाल ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
16. समस्त सहायक सचिव परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
17. सहायक सचिव/समन्वय/गोपनीय/डी.एल.एड./डाटा प्रभारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
18. श्री राजेश प्रताप सिंह, आई.पी.एस.-सेवानिवृत्त, सचिव, भारतीय शिक्षा बोर्ड हरिद्वार-249405, उत्तराखण्ड।
19. समस्त रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
20. निज कक्ष, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/अति० सचिव/उपसचिव/परीक्षा नियंत्रक मा०शि०म० म०प्र० भोपाल।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र०, भोपाल

E-mail id : mpbse@mp.nic.in, Website : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या. - (0755) 2551166-71

क्रमांक / 3971 / विद्योचित / 2023

भोपाल, दिनांक 5/08/2023

// विज्ञप्ति //

पाठ्यचर्या समिति की बैठक दिनांक 27.06.2023 के निर्णयानुसार छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर, पेंशन बाड़ा रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा संचालित कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की परीक्षा के समतुल्य समकक्षता प्रदान की जाती है।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5/08/2023

पृ.क्रमांक / 3972 / विद्योचित / 2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म०प्र० भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
4. संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग म०प्र० भोपाल।
5. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् म०प्र० भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, पाठ्यपुस्तक निगम, म०प्र० भोपाल।
7. संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग म०प्र० भोपाल।
8. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर, पेंशन बाड़ा रायपुर।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. समस्त सदस्य म०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल पाठ्यचर्या समिति की ओर प्रेषित।
12. आंचलिक अधिकारी, म०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल इन्दौर।
13. समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
14. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारीगण, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
15. जनसम्पर्क अधिकारी, मा.शि.मं. की ओर प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु।
- ✓ 16. सी.एस.ओ. मा.शि. मण्डल भोपाल ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
17. समस्त सहायक सचिव परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
18. सहायक सचिव/समन्वय/गोपनीय/डी.एल.एड./डाटा प्रभारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
19. समस्त रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
20. निज कक्ष, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव/अति० सचिव/उपसचिव/परीक्षा नियंत्रक मा०शि०म० म०प्र० भोपाल।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

W.O. 206 विद्यो, 30-X-23 - सोपुक्स